

आदित्यपुर नगर निगम का कार्यालय, आदित्यपुर ।

(नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, के संकल्प ज्ञापांक-07/न0वि0/अधि0/ससो0 /102/2013/3263 दिनांक-18.05.2017 के आलोक में अनाधिकृत/बिचलित निर्माण को नियमितिकरण शुल्क के माध्यम से नियमितिकरण हेतु Appendix-L के प्रावधानिक मानक 10.2 के कंडिका-2.3 के प्रावधान में प्रदत्त शक्ति के तहत नियमितिकरण)

भवन नियमितिकरण परमिट संख्या.....1845.....

दिनांक.....18.6.19.....


सेवा में,


मेर्सस कामधेनु सिटी होम्स बिल्डर्स प्रा0 लि0,
निदेशक - श्री परमजीत सिंह संधु पिता श्री हरमेक सिंह संधु
पता : एस0बी0आई0 हिल व्यु इनक्लेब मनपीटा टेल्को, जमशेदपुर।


महाशय,

आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में नगर निगम क्षेत्र के अर्न्तगत खाता संख्या- 178,182(नया), 48, 52(पुराना) प्लॉट संख्या-1524, 1526, 1530, 1528, 1525, 1527, 1531(नया), 720, 639, 721(पुराना) थाना संख्या-130 मौजा- कुलुपटंगा, आदित्यपुर पर पारित मानचित्र से विचलित कर निर्मित आवासीय भवन में ब्लॉक-A में Ground floor (Parking) +1st. Floor+2nd floor+3rd floor+4th floor+5th Floor, Height Max.17.70m, एवं ब्लॉक-B में Ground floor+1st. Floor+2nd floor+3rd floor+4th floor+5th floor Building Height Max.17.70m, कुल ईकाई 60 अदद के आवासीय प्लॉन का नियमितिकरण निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं समर्पित दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर नियमितिकरण रद्द करते हुए नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
2. भवन नियमितिकरण से किसी प्रकार के अधिकार, स्वामित्व या अन्य लाभ स्थापित नहीं होगा।
3. अग्नि सुरक्षा संबन्धी पर्याप्त क्षमता के डी0सी0पी0 का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
4. वर्षा जल संचयन की व्यवस्था छः माह के अन्दर सुचारु रूप से स्थापित कर इस कार्यालय से जाँच करा लेंगे।
5. नियमितिकरण से उक्त निर्माण से संबंधित किसी भी दिवानी या फौजधारी मुकदमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाकर तथा गलत जानकारी देकर नियमित कराये गए आदेश को वापस ले लिया जायेगा एवं इसके लिए जमा कराया गया शुल्क जप्त कर लिया जायेगा तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के उपर झारखण्ड अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
7. भवन की संरचना के स्थिरता के मामले में प्रमाण-पत्र देने वाले अनुज्ञप्ति धारक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
8. झारखण्ड एपार्टमेन्ट एक्ट-2011 में वर्णित संबंधित कण्डिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
9. मानक के अनुसार विधुत तरित चालक की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी होगी।
10. इस नियमितिकरण के उपरान्त भवन में किसी प्रकार के निर्माण करने के उपरान्त या उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर नियमितिकरण रद्द करने का अधिकार आदित्यपुर नगर निगम को होगा।


18/6/19
कनीय अभियन्ता,
आदित्यपुर नगर निगम


18.6.19
सहायक अभियन्ता,
आदित्यपुर नगर निगम


18/6/19
कार्यपालक पदाधिकारी,
आदित्यपुर नगर निगम